

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2017

विषय: आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत मूल आवासों में अभ्यर्ण के फलस्वरूप केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5486/04-अ/76/एक/2016-17 दिनांक 06.03.2017 एवं पत्र संख्या-178/32/76/एक/2016-17 दिनांक 06.03.17 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित परियोजनाओं के मूल आवासों में अभ्यर्ण के फलस्वरूप अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 3119.32 लाख (रूपये इक्तीस करोड़ उन्नीस लाख बत्तीस हजार मात्र) आहरित कर भारत सरकार को वापस किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय/परियोजना का नाम	मूल आवासों की संख्या/अभ्यर्ण के पश्चात् आवासों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रीय अनुदान की धनराशि जिसे राज्य सरकार द्वारा क्लेम नहीं किया गया है।	कालम सं0-05 में अंकित केन्द्रांश से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्रों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अमरोहा (अनु0 सं0-83 की अवशेष धनराशि)।	जोया	42	24.73	संख्या-59(6)PF-1/2011-961 दिनांक 21/11/2011 के द्वारा केन्द्रांश की द्वितीय किस्त स्वीकृत की गयी है, जिसमें से अनुदान संख्या-83 का क्लेम नहीं किया गया है।
2	अमरोहा (अनु0 सं0-83 की अवशेष धनराशि)।	हसनपुर	36	20.64	
3	अमरोहा (अनु0 सं0-83 की अवशेष धनराशि)।	अमरोहा	115/79	18.82	
4	बुलन्दशहर	खुर्जा	119	216.24	संख्या-11027/28/2014/BSU P/JNNURM(FTS)10339 दिनांक 30/04/2014

5	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर सिटी	750	742.38	संख्या-59(6) PF-1/2013-1766 दिनांक 28/03/2014
6	फैजाबाद	फैजाबाद फेज-2	1197	1265.36	संख्या-11027/28/2014/BSU P/JNNURM(FTS)10339 दिनांक 30/04/2014
7	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	846	760.01	संख्या-11027/28/2014/BSU P/JNNURM(FTS)10339 दिनांक 30/04/2014
8	मुरादाबाद	लकड़ी फजलपुर	48	43.37	संख्या-59(6) PF-1/2013-153 दिनांक 09/05/2013
9	सन्तकबीर नगर (अनु सं०-83 की अवशेष धनराशि)।	पटेल नगर-2	60	27.77	संख्या-59(6) PF-1/2011-961 दिनांक 21/11/2011
	योग			3119.32	

- उक्त धनराशि निदेशक, सूडा द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को वापस की जायेगी।
- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाशीर्षक "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र द्वारा समर्पित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-900-घटार्ये वापसियों-01-वापसियों" के नामे डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०संख्या-ई-8-761/दस-2017, दिनांक 22 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-57/2017/593(1)/69-1-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
- संयुक्त निदेशक (पी०एफ०-1), मिनिस्ट्री आफ फाईनेन्स, डिपार्टमेण्ट आफ एक्सपेन्डीचर प्लान फाईनेन्स-1, डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता), उ०प्र० शासन।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
- सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।